

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2023

जयपुर, दिनांक: 21.09.2023


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2023-24 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.09.2023 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) L-20 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	रिक्ति की तिथि	क्र. सं.	नाम अधिकारी (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	रिक्ति की तिथि
1.	राकेश कुमार ओझा	01.04.2023	7.	मनीष कुमार उपाध्याय	11.07.2023
2.	मनोज कुमार शर्मा	01.04.2023	8.	बरकत उल्लाह सुल्तानी	18.07.2023
3.	शंकर सिंह देवड़ा	01.04.2023	9.	सुनील कुमार गुप्ता	01.08.2023
4.	गोपाल लाल शर्मा (से.नि. 31.05.2023)	01.04.2023	10.	ताराचंद, अजा	01.10.2023
5.	राजीव कुमार गर्ग	01.07.2023	11.	संजय कुमार, अजजा	01.10.2023
6.	अरविन्द सिंह राजपुरोहित	11.07.2023	12.	जयश्री मीणा, अजजा	01.11.2023


उपरोक्त सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा। उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव